रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2019/आषाढ़ 13, 1941
No. 2136] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2019/ASHADHA 13, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.आ. 2358(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 228 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 100.0 वर्ग किलोमीटर है जो मिजोरम राज्य के चम्फई जिले के चम्फई आर डी खण्ड/तालुका/तहसील में नगोपा उप-संभाग के अंतर्गत स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में स्थित है और यह अइजोल जिले के लगभग 245 किलोमीटर पूर्व में और मिजोरम में चिन पहाड़ियों के नजदीक स्थित है;

और, मिजोरम राज्य सरकार ने इसकी पारिस्थितिकी, वानस्पतिक, जीवजन्तु संबंधी और प्राकृतिक महत्व और वन्यजीवों के संरक्षण, प्रचार और विकास तथा इनके पर्यावरण की आवश्यकता को देखते हुए, इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन तारीख 24 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं.बी.12012/5/99-एफएसटी द्वारा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की थी;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता से समृद्ध है, जिसकी वनस्पति में उप-उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार और अर्ध माउंटेन वन प्रकार के वन हैं। अधिकांश क्षेत्र खड़ी ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं और मिट्टी तलछटी चट्टानों वाली बलुआ मिट्टी है। यह दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों जैसे कि तेंदुआ, सांभर, सेराव, हुलॉक गिब्बन आदि का आश्रय और संरक्षण स्थल है। यह भारत में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है और कलीज तीतर, क्रेस्टेड सेरपेंट ईगल और मिसिस हुमेस बार-टेल्ड फिजेन्ट जैसी स्थानिक प्रजातियों का बसेरा है। यह देश के पूर्वी कोने में हिमालयी काले भालू का अंतिम वास माना जाता है;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति की लगभग 15 प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिनमें चिन्कापिन *(कास्टोनोपसीस ट्रीबुलोइदेस)*, ऑर्किड ट्री-कचनार *(बौहीनीया वारीइगेट)*, गरीफिफथ प्लम यू *(केफलोटक्यस गरीफ्फिथी)*, ओक *(क्यूइक्यूस पोल्यस्टाचया)*, हिमालयी ओक *(क्यूइक्यूस लेओकोटरीचोफोरा)*, बोक्स मयरटले *(मयरीका एस्कुलांटा)*, बेल्चर *(ओसटोदेस पानीकुलाटा)*, धूप ट्री *(केनारीयम लेकीनीफेरूम)*, पलुम *(परूनुस अरमेनीअका)*, बट्लिग *(वेंदलांदीया गलांदीस)*, बांस *(अरूंदीनारीया काल्लोसा)*, फह *(लीथोकारपुस दीअल्बाता)*, थीरगथुपुइ (*दयसोक्यलुम गोबरा)*, बरौम ग्रास *(थयसानोलेइना मक्सीमा)* और बाम्बू *(मेलोकालामुस कोमपाकटीफ्लोरा)* शामिल हैं;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान में जीव-जन्तुओं की लगभग 17 प्रजातियाँ रहती हैं जिनमें तेंदुआ *(नेओफेलिस नेबुलोसा)*, हिमायन काला भालू *(उरसूस थीबेटानुस)*, बनबिलार *(फेलिस चाउस)*, जंगली कुत्ता *(कुओन अलपीनेस)*, बुरमासा फेर्राट बदगर *(मेलागाटा परसोनाटा)*, सांभर *(रुसा यूनीक्लोर)*, मुंजक *(मुनटीक्स मुनतजक)*, सेरोव *(कापरीकोरनीस सुमातराइंसीस)*, रेसुस मकाक्यूइ *(मकाका मुलाटा)*, अस्सामेस मकाक्यूइ *(मकाका अस्समेंसीस)*, गोरल *(नेइमोरहेदुस गोरल)*, कैप्ड लंगूर *(परेसबयटीस पीलेअटुस)*, हुलांक उतक *(हायलोबतेस हुलांक)*, बनैला सूअर *(सस स्क्रोफ़ा)*, साही (*हायस्ट्रिक्स इंडिका)*, मालापत विशाल गिलहरी *(रतुफा बीकोलोर)* और लजीला वानर *(नायकटीकेबुस बेंगालेंसिस)* सम्मिलित हैं;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पक्षी जीव समृद्ध है और 15 पक्षी प्रजातियों का बसेरा है जिनमें मिसिस हुमेस बार-टेल्ड फिजेन्ट *(सयरमटीकुस हुमिया)*, कलीज तीतर *(लोफ़ुरा लेओकोमेलाना)*, लाल जंगली मुरगी *(गुल्लुस गुल्लुस)*, बारटइलेड कोयल कबूतर *(मकरोपयगीया अनचाल्ल)*, हॉउस स्वीफट *(अफुस अफ्फिनी)*, लार्ग वाइट रूमपद स्वीफट *(अफुस पकीफिकुस)*, मोउंटीन इमपेरीअल कबूतर *(दुकुला बदीया*), वारअथेड धनेश *(रहयटीकेरोस उनदुलाटेस)*, इमराल्ड कबूतर *(चालकोफपा इंडिका)*, ग्रीन इंपेरीअल कबूतर *(दुकुला अइनेया)*, हील तीतर *(अरबोरोफिला टोरक्यूइओला)*, ब्लैक गरूड़ *(लेटीनाइटुस मालययेंसिस)*, ब्लैक इअरेड काईट *(मील्वुस लिनेअटुस)*, करास्टेड स्पेरपेंट ईगल *(स्पीलोरनीस छेइला)* और सामान्य बुजार्ड *(बुटेओ बुटेओ*) सम्मिलित हैं। यह सरीसृप की तीन महत्त्वपूर्ण प्रजातियों (पायथोन मोलुरूस बीवीट्टाटुस, पथयस मुकोसुस और टरीमेरेसुरूस ग्रामीनेउस), एक उभयचर *(बुफो तुलानोस्टीकटुस)* और मछलियों की दो प्रजातियों (मराइना थयरोइदेस और बरबुस टोर टोर) का आश्रय स्थल है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीव-जन्तुओं की लगभग 29 स्थानिक प्रजातियां जैसे कि हुलांक उतक, लमचिता, सेरोव, कैप्ड लंगूर, सांभर, मालापत विशाल गिलहरी, मिसिस हुमेस बार-टेल्ड फिजेन्ट, कलिज तीतर, लाल जंगली मुरगी, करेस्टेड सेर्पेंट इंगल, हाउस स्वीफट, लार्ज वाइट रूमपेड स्वीफट, वारथेड धनेश, हील तीतर, लाल वांदा, चिंकापीन, आर्किड ट्री (कचनार), गरीफ्पिथ पल्म येव, ओक, हिमालयन ओक, बॉक्स मयरटले, बेल्चर, धूप ट्री, बटलिंग, फह, पल्म, थिंगतुपुई, बांस और ब्रुम घास पायी जाती हैं। इन प्रजातियों में से सात (हूलॉक उतक, लमचित्ता, सेरो, कैप्ड लंगूर, सांभर, रेड वांडा और मिसिस हुमेस बार-टेल्ड फिजेन्ट) दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजन्तु और पक्षी-जीव पाये जाते हैं, और यह मिजोरम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण स्थल है;

और, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य में चमफाई जिला मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं:-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 19.05 वर्ग किलोमीटर होगा जिसकी सीमा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक होगी|

(2) मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक सारणी **क** और सारणी **ख उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र भू-निर्देशांकों के साथ **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग

(xii) राजमार्गो; और

(xiii) मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,

IndiaCode

2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

IndiaCode

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

IndiaCode

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र् की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

IndiaCode

33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का संविधान**	**पद**
(i)	चाम्फई जिले का उपायुक्त	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(viii)	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xi)	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xv)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(xvii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	-सदस्य;
(xviii)	जैव विविधता और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	-सदस्य;
(xix)	संबंधित उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी	-सदस्य-सचिव।

IndiaCode

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/16/2017-ई एस जेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध I

मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पमफेट लुई (नदी) (93°14'36.89"पू, 23°37'49.413"उ) से आरंभ होकर सबुल तलंग (पहाड़ी) को पार करके मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 600 मीटर की परिधि तक उत्तर की ओर जाती है और तुईथिंग लुई (नदी) (93°17'26.524"पू, 23°38'54.939"उ) से मिलती है। तुईथिंग लुई (नदी) से मुरलेन-वैपर सड़क (93°18'47.736"पू, 23°38'37.573"उ) की ओर 800 मीटर की परिधि तक जाती है और तुईथिंग लुई (नदी) से मिलती है।

पूर्व : तुईथिंग लुई (नदी) (93°20'22.28"पू, 23°37'1.014"उ) से आरंभ होकर ऊपरी भाग की ओर और खेमकेह लुई (नदी) (93°19'14.47"पू, 23°36'13.838"उ) के साथ नीचे की ओर मुरलेन सीमा से 100 मीटर की परिधि तक जाकर तुईकौल लुई (नदी) से मिलती है।

दक्षिण: तुईकौल लुई (नदी) (93°19'13.816"पू, 23°34'56.837"उ) से आरंभ होकर तुईपुई लुई (नदी) (93°18'26.099"पू, 23°34'9.614"उ) की ओर मुरलेन सीमा से 100 मीटर की परिधि तक जाती है जहाँ से तुईपुई लुई (नदी) के साथ 700 मीटर की परिधि तक जाकर तुईपुई लुई (नदी) मोड़ बिंदु तक जाती है ।

पश्चिम: तुईपुई लुई (नदी) (93°16'8.558"पू, 23°35'15.687"उ) से तुईटॉप लुई (नदी) (93°15'1.018"पू, 23°36'29.361"उ) और घनी वनस्पति को पार करके मुरलेन सीमा से 700 मीटर की परिधि तक जाती है और पमफेट नदी से मिलती है।

IndiaCode

उपाबंध-II

भू स्थिति प्रणाली के संदर्भ में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

क.संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

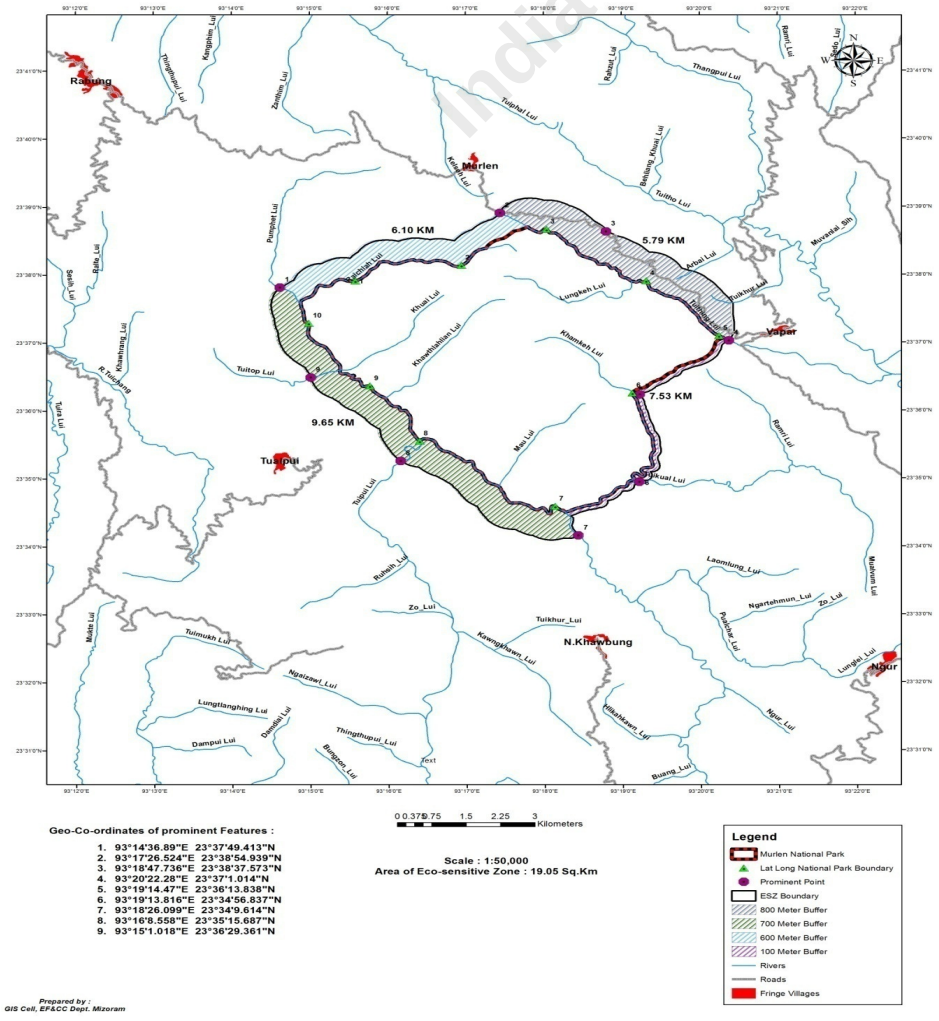
क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान (•)	स्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	1	उत्तर-पश्चिम	23°37'54.657"उ	93°15'34.718"पू
2	2	उत्तर	23°38'8.32"उ	93°16'56.356"पू
3	3	उत्तर	23°38'39.888"उ	93°18'1.836"पू
4	4	उत्तर-पूर्व	23°37'54.301"उ	93°19'18.422"पू
5	5	पूर्व	23°37'5.726"उ	93°20'14.412"पू
6	6	दक्षिण-पूर्व	23°36'15.182"उ	93°19'7.584"पू
7	7	दक्षिण	23°34'35.268"उ	93°18'7.938"पू
8	8	दक्षिण-पश्चिम	23°35'33.019"उ	93°16'23.998"पू
9	9	पश्चिम	23°36'21.764"उ	93°15'45.894"पू
10	10	पश्चिम	23°37'17.37"उ	93°14'58.743"पू

ख.पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान (▲)	स्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	1	उत्तर-पश्चिम	3°37'49.413"उ	93°14'36.89"पू
2	2	उत्तर	23°38'54.939"उ	93°17'26.524"पू
3	3	उत्तर-पूर्व	23°38'37.573"उ	93°18'47.736"पू
4	4	पूर्व	23°37'1.014"उ	93°20'22.28"पू
5	5	पूर्व	23°36'13.838"उ	93°19'14.47"पू
6	6	दक्षिण-पूर्व	23°34'56.837"उ	93°19'13.816"पू
7	7	दक्षिण	23°34'9.614"उ	93°18'26.099"पू
8	8	दक्षिण-पश्चिम	23°35'15.687"उ	93°16'8.558"पू
9	9	पश्चिम	23°36'29.361"उ	93°15'1.018"पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र



उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2019

S.O. 2358(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 228(E), dated the 15th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 15th January, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Murlen National Park is spread over an area of 100.0 square kilometers and situated under the Ngopa Sub-Division in Champhai RD Block/Taluka/Tehsil of Champhai District in the State of Mizoram. The National Park lies north of the Lengteng Wildlife Sanctuary and is situated about 245 kilometers east of Aizawl district and is close to the Chin Hills in Mizoram;

AND WHEREAS, the Murlen National Park was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* Notification No.B.12012/5/99-FST, dated the 24th Jan, 2003;

AND WHEREAS, the Murlen National Park is rich in biodiversity, the vegetation of which belongs to Forest type Sub-Tropical Semi Evergreen and Semi-Montane Forests. Most of the area is hilly terrain with steep slopes and the soil is of sandy clay with sedimentary rocks. It provides shelter and protect rare, endangered and threatened species *viz.* Leopard, Sambar, Serow, Hoolock gibbon etc. It is one of the Important Bird Areas in India and species like Kalij Pheasant, Crested Serpent Eagle and Mrs. Hume's Bar-tailed Pheasant are endemic to the area. It is also considered as the last home of Himalayan Black Bear in Eastern corner of the country;

AND WHEREAS, the Murlen National Park supports about fifteen species of flora including Chinkapin (*Castonopsis tribuloides*), Orchid tree-kachnar (*Bauhinia variegata*), Griffith's plum yew (*Cephalotaxus griffithii*), Oak (*Quercus polystachya*), Himalayan oak (*Quercus leocotrichophora*), Box myrtle (*Myrica esculenta*), Beltur (*Ostodes paniculata*), Dhup tree (*Canarium leciniferum*), Plum (*Prunus armeniaca*), Batling (*Wendlandia glandis*), Bamboo (*Arundinaria callosa*), Fah (*Lithocarpus dialbata*), Thingthupui (*Dysoxylum gobara*), Broom grass (*Thysanolaena maxima*) and Bamboo (*Melocalamus compactiflora*);

AND WHEREAS, the Murlen National Park supports 17 faunal species including Clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), Himalayan black bear (*Ursus thibetanus*), Jungle cat (*Felis chaus*), Wild dog (*Cuon alpines*), Burmese ferret badger (*Melogale personata*), Sambar (*Cervus unicolor*), Barking deer (*Muntiacas muntjak*), Serow (*Capricornis sumatraensis*), Rhesus macaque (*Macaca mulata*), Assamese macaque (*Macaca assamensis*), Goral (*Naemorhedus goral*), Capped langur (*Presbytis pileatus*), Hoolock gibbon (*Hylobates hoolock*), Wild pig (*Sus scrofa*), Porcupine (*Hystix indica*), Malayan giant squareuirrel (*Ratufa bicolor*) and Slow loris (*Nycticebus bengalensis*);

AND WHEREAS, the Murlen National Park is rich in avifauna and supports 15 bird species includind Mrs. Hume's bar-tailed Pheasant (*Syrmaticus humiae*), Kalij Pheasant (*Lophura leocomelana*), Red jungle fowl (*Gallus gallus*), Bartailed Cuckoo Dove (*Macropygia unchall*), House swift (*Apus affinii*), Large white rumped swift (*Apus pacificus*), Mountain imperial Pigeon (*Ducula badia*), Wreathed Hornbill (*Rhyticeros undulates*), Emerald Dove (*Chalcophapa indica*), Green imperial Pigeon (*Ducula aenea*), Hill Partridge (*Arborophila torqueola*), Black eagle (*Letinaetus malayensis*), Blackeared kite (*Milvus lineatus*), Crested Serpent Eagle (*Spilornis cheela*) and Common Buzzard (*Buteo buteo*). It also supports three important species of reptiles (*Python molurus bivittatus*, *Ptyas mucosus* and *Trimeresurus gramineus*), one of the amphibian (*Bufo nulanostictus*) and two species of fishes (*Maraena thyroidae* and *Barbus tor tor*);

AND WHEREAS, the National Park also haveabout 30 endemic species of flora and fauna e.g. Hoolock gibbon, Clouded leopard, Serow, Capped langur, Sambar, Malayan giant squareuirrel, Mrs. Hume's bar-tailed Pheasant, Kalij Pheasant, Red jungle fowl, Crested Serpent Eagle, House swift, Large white rumped swift, Wreathed Hornbill, Hill Partridge, Red Vanda, Chinkapin, Orchid tree (kachnar), Griffith's plum yew, Oak, Himalayan oak, Box myrtle, Beltur, Dhup tree, Batling, Fah, Plum, Thingthupui, Bamboo and Broom grass. Seven of these species (Hoolock gibbon, Clouded leopard, Serow, Capped langur, Sambar, Red Vanda and Mrs. Hume's bar-tailed pheasant) are listed under rare, endangered and threatened (RET) category;

AND WHEREAS, the Murlen National Park is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of the Murlen National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.1 kilometres to 0.8 kilometres around the boundary of Murlen National Park, in Champhai district in the State of Mizoram as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be 19.05 square kilometres with extent varying from 0.1 kilometres to 0.8 kilometres around the boundary of the Murlen National Park;

 (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone around the Murlen National Park is appended as **Annexure-I**;

 (3) The geo-coordinates of Murlen National Park and its Eco-sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-II**;

 (4) The map of Eco-sensitive Zone along with geo-coordinates is appended as **Annexure-III**;

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Mizoram State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife

(Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	area.	for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:—

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner of Champhai District	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Land Revenue and Settlement Department	Member;
(iii)	Representative of Rural Development Department	Member;
(iv)	Representative of Agriculture Department	Member;
(v)	Representative of Local Administration Department	Member;
(vi)	Representative of Public Works Department	Member;
(vii)	Representative of Public Health Engineering	Member;
(viii)	Representative of Fishery Department	Member;
(ix)	Representative of Industries Department	Member;
(x)	Representative of Police Department	Member;

(xi)	Representative of Power and Electricity Department	Member;
(xii)	Representative of Animal Husbandry and Veterinary Department	Member;
(xiii)	Representative of Soil and Moisture Conservation Department	Member;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(xv)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
(xvii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xviii)	One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xix)	Concerned Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/16/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONES AROUND THE MURLEN NATIONAL PARK

NORTH: Starting from Pumphet lui (river) (93°14'36.89"E, 23°37'49.413"N) towards north up to 600 m periphery from the boundary of Murlen National Park crossing Sabual tlang (hill) and meeting the source of Tuithing lui (river) (93°17'26.524"E, 23°38'54.939"N). From Tuithing lui (river) up to 800 m periphery towards the Murlen-Vapar road (93°18'47.736"E, 23°38'37.573"N) and meeting the Tuithing lui (river).

EAST: Starting from the Tuithing lui (river) (93°20'22.28"E, 23°37'1.014"N) on the upper side and up to 100 meters. periphery from Murlen boundary downwards along the Khamkeh lui (river) (93°19'14.47"E, 23°36'13.838"N) till it meets Tuikual lui (river).

SOUTH: Starting from the Tuikual lui (river) (93°19'13.816"E, 23°34'56.837"N) up to 100 meters periphery from Murlen boundary towards Tuipui lui (river) (93°18'26.099"E, 23°34'9.614"N) and from where up to 700 meters periphery along the Tuipui lui (river) till the turning point of Tuipui lui (river).

WEST: From Tuipui lui (river) (93°16'8.558"E, 23°35'15.687"N) up to 700 meters. at periphery from Murlen boundary across the thick vegetation and Tuitop lui (river) (93°15'1.018"E, 23°36'29.361"N) till it meets Pumphet river.

ANNEXURE-II

COORDINATES OF THE MURLEN NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN TERMS OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM

A. GEO-COORDINATES OF THEPROTECTED ARE ABOUNDARY

Sl. No.	Identification of Prominent Points (●)	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	North-west	23°37'54.657"N	93°15'34.718"E
2	2	North	23°38'8.32"N	93°16'56.356"E
3	3	North	23°38'39.888"N	93°18'1.836"E
4	4	North-East	23°37'54.301"N	93°19'18.422"E
5	5	East	23°37'5.726"N	93°20'14.412"E
6	6	South-East	23°36'15.182"N	93°19'7.584"E
7	7	South	23°34'35.268"N	93°18'7.938"E
8	8	South-west	23°35'33.019"N	93°16'23.998"E
9	9	West	23°36'21.764"N	93°15'45.894"E
10	10	West	23°37'17.37"N	93°14'58.743"E

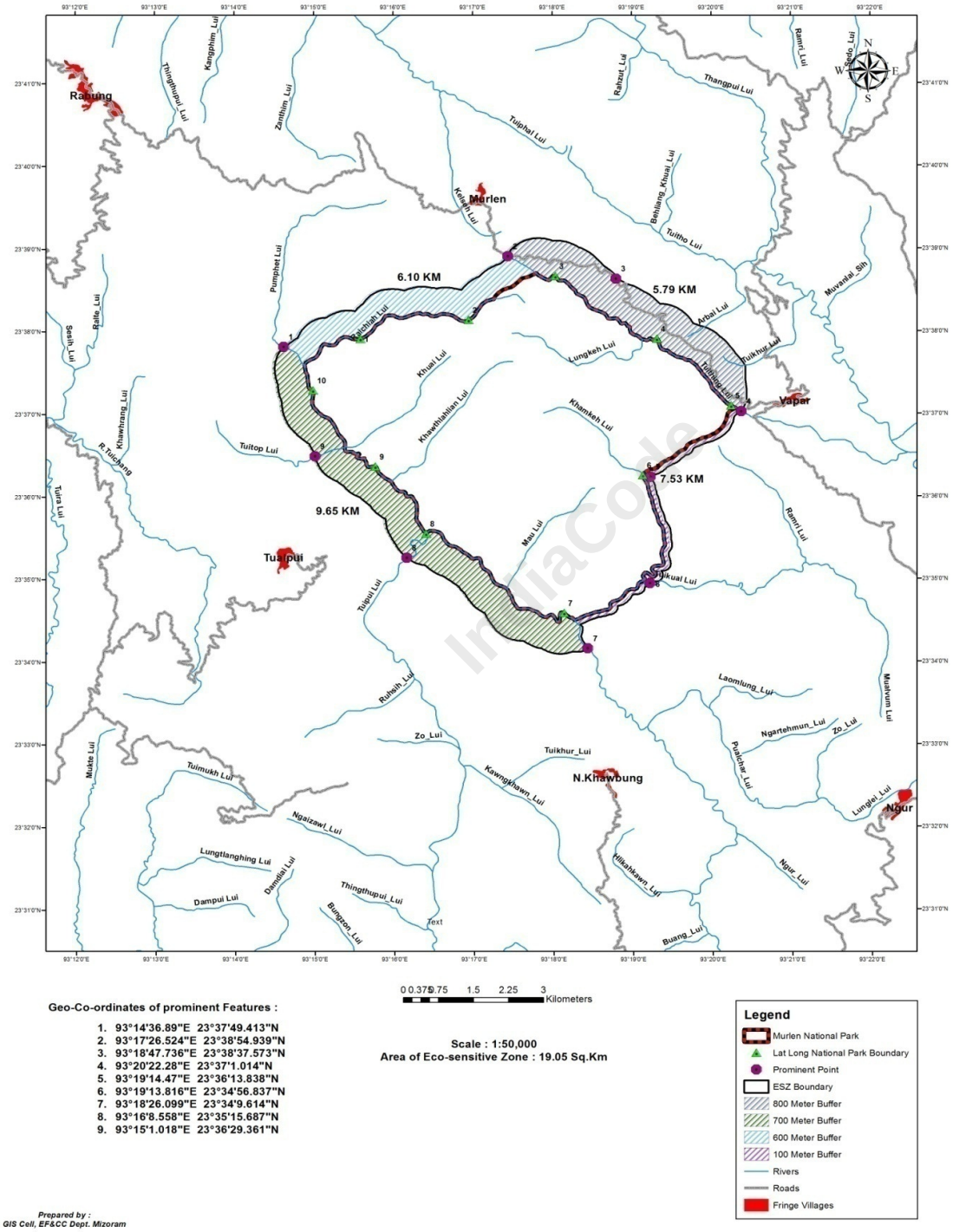
B. GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Identification of Prominent Points (▲)	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	North-west	3°37'49.413"N	93°14'36.89"E
2	2	North	23°38'54.939"N	93°17'26.524"E
3	3	North-east	23°38'37.573"N	93°18'47.736"E
4	4	East	23°37'1.014"N	93°20'22.28"E
5	5	East	23°36'13.838"N	93°19'14.47"E
6	6	South-east	23°34'56.837"N	93°19'13.816"E
7	7	South	23°34'9.614"N	93°18'26.099"E
8	8	South -west	23°35'15.687"N	93°16'8.558"E
9	9	West	23°36'29.361"N	93°15'1.018"E

IndiaCode

ANNEXURE-III

MAP OF THE MURLEN NATIONAL PARK ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES



Geo-Co-ordinates of prominent Features :

1. 93°14'36.89"E 23°37'49.413"N
2. 93°17'26.524"E 23°38'54.939"N
3. 93°18'47.736"E 23°38'37.573"N
4. 93°20'22.28"E 23°37'1.014"N
5. 93°19'14.47"E 23°36'13.838"N
6. 93°19'13.816"E 23°34'56.837"N
7. 93°18'26.099"E 23°34'9.614"N
8. 93°16'8.558"E 23°35'15.687"N
9. 93°15'1.018"E 23°36'29.361"N

Scale : 1:50,000
Area of Eco-sensitive Zone : 19.05 Sq.Km

Prepared by :
GIS Cell, EF&CC Dept. Mizoram

ANNEXURE –IV

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.08 11:11:44 +05'30'